कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य

1. कार्यकारिणी एवं उद्देश्य - वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरकुंश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई के कारण वनों को काफी क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्वति से स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकडी, कोयला, इमारती लकडी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

विभागीय कार्य योजना के उद्देश्य :–

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा।
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरोत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्वति अपनाना।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर जलाऊ लकडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- पिछडे वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों का उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना तथा।
- राज्य के लिए राजस्व आय प्राप्ति करना आदि।

2. प्रशासनिक व्यवस्था :–

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत है :–

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर					
उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–II बीकानेर	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर	उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर	

3. गतिविधियां -

1. **उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुरः–**

   उप वन संरक्षक, विभागीय कार्यमण्डल, जयपुर का मय कर्मचारीगण (STAFF) व पत्रावलियां/पंजिकाएं (RECORD) के साथ स्थानान्तरण कर मुख्यालय बीकानेर किया गया था। वर्ष 2000 से मई 2010 तक जयपुर मुख्यालय पर उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर का कोई कार्यालय नही ंरहा। इस अवधि मे ंपातन व विदोहन कार्य उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर द्वारा संपादित करवाये जाते रहें।

2. **उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–II बीकानेरः–**

यह वनमण्डल प्रादेशिक वन मण्डल इं.गा.न.प. स्टेज–II, बीकानेर व इं.गा.न.प. स्टेज–II, जैसलमेर के अधीन आने वाली रेन्जों के सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वर्किंग प्लान/वर्किंग स्कीम अनुसार परिपक्व वृक्षों के विदोहन का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक वन मण्डलों से सूखी गिरी पड़ी लकड़ी एवं सड़को के उन्न्यन से प्रभावित वन सम्पदा जो सामान्यतया राज्य सरकार के सर्क्यूलर 02.09.2006 के अनुसरण में प्राप्त होती है, का भी विदोहन संग्रहण एवं खुली नीलामी द्वारा व्ययन (Disposal) किया जाता है। परिपक्व वन सम्पदा के विदोहन, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु इस कार्यालय के अधीन चार विभागीय कार्य इकाइयां (क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय) यथा बज्जू, बीकमपुर, मोहनगढ़ एवं जैसलमेर तथा चार विक्रय केन्द्र (Sale Depots) यथा बज्जू, बीकमपुर, नाचना एवं जैसलमेर में स्थापित है।

3. **उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़ः–**

विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़ का कार्य क्षेत्र समस्त हनुमानगढ़ जिला एवं श्रीगंगानगर जिले की सादुलशहर, करणपुर, श्रीगंगानगर, रायसिंहनगर, सूरतगढ़ एवं विजयनगर तहसील क्षेत्र है। विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़ द्वारा इस क्षेत्र में स्वीकृत कार्य योजना प्रस्तावों अनुसार चिन्हित सिंचित वृक्षारोपण क्षेत्रों से लकड़ी विदोहन का कार्य किया जाता है।

4. **उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुरः–**

विभागीय कार्य मंडल, उदयपुर वन विभाग में न केवल एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, बल्कि वनों में बांस सुधार एवं मिट्टी व नमी संरक्षण कार्य भी कर रहा है। इस वनमण्डल द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त बांस उत्पादन एवं विक्रय संबंधित कार्य विभागीय निर्देशों के अनुसार करवाया जाता है।

5. **उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेरः–**

इस वन मण्डल के अधीन चार रेंज बीकानेर/खाजुवाला/छत्तरगढ़/अनूपगढ़ कार्यरत है। विभागीय कार्य मण्डल बीकानेर का वर्तमान कार्य क्षेत्र, उप वन संरक्षक बीकानेर की बीकानेर (उत्तर) रेंज, लूणकरणसर, उप वन संरक्षक छत्तरगढ़ का समस्त नहर क्षेत्र, उप वन संरक्षक इ.गा.न.प. स्टेज–II बीकानेर की मुख्य नहर 620 आरडी से 860 आरडी एवं इसके समस्त सब सिस्ट्मस में स्थित है। विभागीय कार्य मण्डल द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना व वर्किंग स्कीम के अनुसार प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र में स्थित वृक्षारोपण क्षेत्रों में लकड़ी का विदोहन किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2021–22 से 2022–23 के लिए स्वीकृत वर्किंग स्कीम के तहत कार्य करवाया जा रहा है।

4. Statistical Data -

(A) **लकड़ी व्यापार योजना :–**

वर्ष	उत्पादन (लाख क्विंटल में)		योग (लाख क्विंटल)	प्राप्त राजस्व (रू.लाखों में)
	इमारती लकड़ी	जलाऊ लकड़ी		
1	2	3	4	5
2010-11	3.71	2.49	6.20	2258.22
2011-12	1.64	2.86	4.50	2107.47
2012-13	1.60	2.89	4.49	1880.62
2013-14	3.86	4.00	7.86	2484.50
2014-15	4.88	4.42	9.30	2676.14
2015-16	2.57	5.72	8.29	2766.18
2016-17	4.05	3.85	7.90	2143.40
2017-18	3.97	4.72	8.69	2659.85
2018-19	2.89	4.88	7.77	2969.29
2019-20	1.66	3.25	4.91	1797.80
2020-21	1.44	3.17	4.61	1430.44

(B) <u>बाँस विदोहन योजना</u> :–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में)	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)	मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (रू.लाखों में)
2010–11	12.00	13.04	272.62
2011–12	12.00	14.01	298.24
2012–13	12.00	15.79	357.19
2013–14	12.00	15.55	308.40
2014–15	12.00	13.04	102.09
2015–16	11.00	11.52	517.09
2016–17	13.00	18.05	294.40
2017–18	11.00	11.02	318.22
2018–19	11.58	11.63	286.75
2019–20	10.50	10.50	306.75
2020–21	14.15	14.15	386.42

<u>प्राकृतिक वन क्षेत्र में प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा की अपरूटिंग :–</u>

1. आक्रात्मक प्रजाति के उन्मूलन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णानुसार विभागीय कार्य वृत क्षेत्र, जहां जूलिफ्लोरा अत्यधिक संख्या में है, जूलिफ्लोरा उन्मूलन करके स्थानीय प्रजातियों से वनों को पुनर्वास किया जा सके।

2. ऐसे क्षेत्र सवाईमाधोपुर/सिरोही/पाली/बीकानेर/छत्तरगढ/हनुमानगढ वनमण्डलों को चयनित किया जाकर 8 कार्यस्थलों पर उपज आंकलन (Yield Estimation) का कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया। वर्ष 2022–23 में उन्मूलन की कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है।

3. भविष्य में राज्य में अन्य क्षमता क्षेत्र को भी चयनित करके उपज आंकलन करके जूलीफ्लोरा से आय प्राप्त करके क्षेत्र का पुर्नवास भी किया जायेगा।